



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 274 राँची, सोमवार,

15 मई, 2023 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

12 मई 2023

संख्या-ख०नि०स्था०(क्षे०)-34/05. 807/एम0-- राँची, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा “झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010” यथा संशोधित 2015, 2018 एवं 2022 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-
 - यह नियमावली “झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023” कहलाएगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
- झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित 2015, 2018 एवं 2022) के नियम-11 में निम्नांकित प्रावधान है :-

" 11- तकनीकी अहर्ता :-

“कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा, जब वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) एवं/या झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारण करता हो। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।”

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा ।”

को निम्नवत प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" 11- तकनीकी अहर्ता :-

“कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा, जब वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) एवं/या झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारण करता हो। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।”

3- झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा निमयावली, 2010 (यथा अद्यतन संशोधित) के शेष प्रावधान/नियम यथावत् रहेगें ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबकर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।
